

No. 45093*

**New Zealand
and
India**

Air Services Agreement between the Government of New Zealand and the Government of the Republic of India (with annex). New Delhi, 2 May 2006

Entry into force: *13 November 2006 by notification, in accordance with article 20*

Authentic texts: *English and Hindi*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *New Zealand, 1 July 2008*

**Nouvelle-Zélande
et
Inde**

Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de la République de l'Inde (avec annexe). New Delhi, 2 mai 2006

Entrée en vigueur : *13 novembre 2006 par notification, conformément à l'article 20*

Textes authentiques : *anglais et hindi*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Nouvelle-Zélande, 1er juillet 2008*

* *The texts reproduced below are the original texts of the agreement as submitted. For ease of reference, they were sequentially paginated. The relevant Treaty Series volume will be published in due course.*

Les textes reproduit ci-dessous sont les textes authentiques de l'accord tel que soumises pour l'enregistrement. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Le volume correspondant du Recueil des Traités sera disponible en temps utile.

[HINDI TEXT – TEXTE HINDI]

न्यूजीलैंड सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें तत्पश्चात् 'पक्ष') कहा गया है;

जो 07 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के संबंधित पक्ष है;

जो अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच तथा उनसे परे अन्तरराष्ट्रीय विमानन सेवाएं चलाने की इच्छुक हैं;

जो एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर एक अंतरराष्ट्रीय विमान प्रणाली को प्रोत्साहित करना चाहते हैं;

जो अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन में संरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित तथा विमान की सुरक्षा के विरुद्ध धमकी के कार्रवाई के बारे में चिंता करते हुए जिससे व्यक्तियों अथवा सम्पत्तियों की सुरक्षा प्रभावित होती हो जिसे विमान परिवहन के प्रचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हों, तथा जिससे जनता के मन में नागर विमानन की सुरक्षा के प्रति विश्वास में कमी आती हो;

निम्न प्रकार से सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद-एक परिभाषा

इस करार के प्रयोजनार्थ, जहाँ पाठ में अन्यथा अपेक्षा नहीं की गई है-

1. वैमानिकी प्राधिकारी पद का आशय न्यूजीलैंड के मामले में नागर विमानन के लिए उत्तरदायी मंत्री तथा भारत के मामले में, नागर विमानन महानिदेशक अथवा दोनों मामलों में कोई अन्य प्राधिकारी अथवा निकाय से है जिन्हें अब संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है अब इसे प्राधिकृत किया गया है;

2. 'करार' का आशय 'करार' इसके अनुबंध तथा इसमें किया गया कोई भी संशोधन से है;

3. 'अभिसमय का आशय', 7 दिसम्बर, 1944 में शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है तथा इसमें वह कोई भी संशोधन शामिल है तथा उसी समय के अनुच्छेद 94(क) के अधीन लागू किया गया है तथा जिसका अनुसमर्थन दोनों पक्षों ने कर दिया है तथा इसमें इस प्रकार के अनुबंध अथवा संशोधन दोनों पक्षों के लिए भी प्रभावी हैं, अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन कोई भी संशोधन को अपनाया गया है;
4. 'नामित विमान कम्पनी' का आशय एक ऐसी विमान कम्पनी से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 (नामन और प्राधिकार) के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो।
5. 'पूर्ण लागत' का आशय प्रदान की जाने वाली सेवा की लागत, जिसे तथा प्रशासनिक ओवरहेड के लिए उपयुक्त प्रभार सहित लागत से है;
6. 'अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं' का आशय एक ऐसी विमान सेवा से है जो एक राष्ट्र से अधिक राष्ट्र के राज्य क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र से गुजरती हो;
7. 'मूल्य' का आशय यात्रियों (और उनके सामान) के वहन और/अथवा कार्गो (डाक को छोड़कर) एयरलाइनों द्वारा वसूला जाने वाला विमान सेवा प्रभार के लिए कोई किराया दर अथवा विनिमय से है जिसमें उनके एजेंट भी शामिल है तथा वे शर्तें भी शामिल हैं जिनमें इस प्रकार के किराए दर अथवा प्रभार की उपलब्धता भी शामिल है;
8. 'गेर-यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना' एयरलाइन और विमान सेवा का आशय वही है जो इसके लिए अभिसमय के अनुच्छेद 96 में इनके लिए दिया गया है;
9. 'राज्यक्षेत्र का' आशय वही है जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में इनके लिए दिया गया है बशर्ते कि न्यूजीलैंड के मामले में 'राज्यक्षेत्र' का आशय में शामिल नहीं होगा;
10. 'उपयोगिता प्रभार' का आशय वह प्रभार से है जिसे हवाईअड्डा, विमान दिक्चालन अथवा विमानन सुरक्षा सुविधाओं अथवा सेवाओं का प्रावधान के लिए एयरलाइनों पर लगाए जाने वाले प्रभार से है जिसमें संबंधित सेवाओं तथा सुविधाएं सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद - दो अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार में अनुबंध में उपयुक्त रूप में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं की स्थापना के प्रयोजन के लिए यह करार निर्दिष्ट अधिकार प्रदान करेगा। इस प्रकार की सेवाओं और मार्गों को तत्पश्चात्, क्रमशः सहमत सेवाएं तथा विनिर्दिष्ट मार्ग कहा गया है।

2. इस करार के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-

- (क) बिना अवतरण किए इसके राज्यक्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने का अधिकार;
- (ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए इसके राज्यक्षेत्र में रूकने का अधिकार;
- (ग) विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक द्वारा नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) को इस करार के अनुबंध में मार्गों के लिए वर्णित स्थान (स्थानों) पर अन्य पक्षों के राज्यक्षेत्र में डाक को छोड़कर यात्रियों तथा कार्गो में अन्तरराष्ट्रीय यातायात अलग से अथवा संयुक्त रूप से उतारने तथा चढ़ाने का अधिकार होगा;

3. इस करार के अनुच्छेद 4 के अधीन उन नामित कम्पनियों से अलग, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी (कम्पनियों) भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उप पैरा ग्राफ (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकारों को पाने के हकदार होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) द्वारा आय संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में यात्रियों, कार्गो और डाक में विमान पर लेने का विशेष अधिकार मिल गया है जिसे अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में अन्य स्थान के लिए भेजा जा रहा है।

अनुच्छेद - तीन
पदनामन तथा प्राधिकार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को इस करार के साथ इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय विमानपरिवहन के लिए कितनी भी संख्या में विमान कम्पनियों को नामित कर सकती है जितनी वह आवश्यक समझे तथा इस प्रकार के मामले को वापस ले सके अथवा फेर-बदल कर सके। इस प्रकार के नामित करने की जानकारी राजनयिक माध्यम से लिखित रूप से अन्य संविदाकारी पक्ष को दी जाएगी तथा यह पहचान की जाएगी कि क्या एयरलाइन अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन के लिए प्राधिकृत है। इस प्रकार के नामित इन एयरलाइनों के लिए अपेक्षित नहीं होगा जो अनुच्छेद-तीन उप-पैरा 1 (क) और 1 (ख) में इसके लिए अधिकारों का निर्वाह कर रही है।

2. प्रचालन प्राधिकार तथा तकनीकी अनुमति के लिए निर्धारित फार्म तथा तरीके से नामित विमान कम्पनी से इस प्रकार का नामन तथा आवेदन प्राप्त होने पर, अन्य संविदाकारी पक्ष न्यूनतम देरी किये बिना उपयुक्त प्राधिकार तथा अनुमति की स्वीकृति देगी बशर्ते कि:-

- (क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभारी नियंत्रण एयरलाइन, उस पार्टी के राष्ट्रिकों अथवा दोनों में उस पार्टी में निहित है;
- (ख) नामित विमान कम्पनी कानूनों, विनियमों तथा नियमों की भांति विमान कम्पनी को पूरा करने में अर्हता प्राप्त है जो आवेदनों/आवेदनों पर विचार करने वाले पक्ष द्वारा अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए जो सामान्यतया लागू नियमों और विनियमों के अनुरूप हो;
- (ग) एयरलाइन को नामित करने वाला पक्ष अनुच्छेद-छः (संरक्षण) तथा अनुच्छेद-सात (विमानन संरक्षा) में निर्धारित मानकों का रख-रखाव तथा प्रशासन कर रहा हो।

**अनुच्छेद - चार
प्राधिकार का प्रतिसंहरण**

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति पर रोक, निलम्बन और सीमित रख सकती है बशर्तकि:

- (क) उस एयरलाइन का वास्तविक नियंत्रण स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण अन्य संविदाकारी पक्ष, पक्ष के राष्ट्रिकों अथवा दोनों में निहित नहीं है।
- (ख) वह एयरलाइन इस करार के अनुच्छेद-पांच (कानूनों की प्रयोज्यता) में वर्णित कानूनों, विनियमों और नियमों का पालन करने में असफल रहती है;
- (ग) अन्य संविदाकारी पक्ष इस करार के अनुच्छेद-6 (संरक्षा) में निर्धारित मानकों का रखरखाव और प्रशासन नहीं कर रही है।

2. जब तक इस अनुच्छेद के उप पैराग्राफ ख अथवा ग के साथ और आगे अतिलंघन को और आगे रोकने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना अनिवार्य न हो इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित अधिकारों का निर्वाह अन्य संविदाकारी पक्ष के साथ विचार विमर्श के बाद ही किया जा सकेगा।

3. यह अनुच्छेद इस करार के अनुच्छेद-सात (विमानन संरक्षा) के प्रावधानों के अनुसार अन्य संविदाकारी पक्ष की एक एयरलाइन अथवा एयरलाइनों की प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति पर रोक, प्रति संहरण, सीमा अथवा प्रचालन प्राधिकार अथवा, तकनीकी अनुमति पर शर्तें लगा सके।

**अनुच्छेद - पाँच
कानूनों की प्रयोज्यता**

1. एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय अथवा वहां से प्रस्थान करते समय, विमान के प्रचालन तथा दिक्चालन से संबंधित इसके कानून, विनियम तथा नियमों का अनुपालन एक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइनों के साथ अनुपालन किया जाएगा।

2. एक पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवेश, इसके अन्दर रहने तथा प्रस्थान करते समय, इसके राज्य क्षेत्र से यात्रियों, कर्मिदल अथवा विमान में कार्गो (प्रवेश, क्लीयरेंस, विमान सुरक्षा, आब्रजन, पासपोर्ट, सीमा शुल्क और संगरोध अथवा डाक के संबंध में डाक विनियम सहित) प्रवेश करने वाले अथवा प्रस्थान करने वाले से संबंधित इसके कानून और विनियमों का अनुपालन दूसरे पक्ष की एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, कर्मिदल अथवा कार्गो द्वारा अथवा उनकी ओर से तदनुरूप अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. दोनों में से कोई भी पक्ष अपने प्रवेश क्लीयरेंस, विमानन सुरक्षा, आब्रजन, पासपोर्ट, अग्रिम यात्री सूचना, सीमा-शुल्क तथा संगरोध, पोस्टल तथा ऐसे ही विनियमों के संबंध में इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में रत दूसरे पक्ष की विमान कम्पनी की तुलना में अपनी स्वयं की अथवा किसी अन्य विमान कम्पनी को तरजीह नहीं देगा।

4. दोनों में से कोई भी पक्ष के राज्य क्षेत्र में सीधे पारगमन करने वाले यात्रियों, बैगेज तथा कार्गो तथा इस प्रयोजन के लिए आरक्षित हवाई अड्डे के क्षेत्र को न छोड़ते हुए विमान सुरक्षा, नारकोटिक्स नियंत्रण, आब्रजन आवश्यकताओं या विशेष परिस्थितियों के कारणों के अतिरिक्त किसी भी जांच से नहीं गुजरेंगे। सीधे पारगमन वाला सामान और कार्गो सीमा शुल्कों तथा अन्य इसी प्रकार के करों से मुक्त होंगे।

अनुच्छेद - छः संरक्षा

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, वैमानिकी सुविधाओं, विमान कर्मि, विमान और नामित विमान कम्पनी के प्रचालन से संबंधित अन्य पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी के संबंध में अनुरक्षित संरक्षा मानकों से संबंधित परामर्श करने का अनुरोध कर सकेंगे।

2. यदि परामर्श के बाद एक पक्ष को यह पता चलता है कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ में वर्णित क्षेत्रों में संरक्षा मानकों, जिन्हें अभिसमय के अनुसार संरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है को अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइनों के संबंध में प्रभावी रूप से अनुरक्षित और प्रशासन नहीं किया जा रहा है तो अन्य संविदाकारी पक्ष इस प्रकार के निष्कर्ष तथा इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप

आवश्यक समझे जाने वाले कदमों को अधिसूचित कर सकेगा अन्य पक्ष उपयुक्त निवारक कार्रवाई कर सकेगा।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति के निलम्बन अथवा सीमित करने का अधिकार होगा यदि अन्य संविदाकारी पक्ष एक उपयुक्त समय में उपयुक्त निवारक कार्रवाई न कर दे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ तीन के अनुसार एक संविदाकारी पक्ष की कोई कार्रवाई उस समय समाप्त कर दी जाएगी यदि उक्त कार्रवाई वर्तमान में ही कर दी गई है।

अनुच्छेद - सात विमानन सुरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों के अनुरूप दोनों पक्ष पुनः इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व, इस करार का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने-अपने अधिकारों तथा दायित्वों की व्यापकता को कम किये बिना, दोनों पक्ष विशेष रूप से, 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित वायुयान में किये गये अपराधों एवं कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित वायुयान के विधि विरुद्ध अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय, 23 सितम्बर, 1971 को मॉट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विधि-विरुद्ध कार्य दमन अभिसमय, 24 फरवरी, 1988 को मॉट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमान सेवारत विमानपत्तनों पर हिंसा वाले विधि विरुद्ध कृत्यों के दमन हेतु अनुपूरक प्रोटोकाल के साथ-साथ नागर विमानन की सुरक्षा से संबंधित ऐसी किसी भी अन्य अभिसमय तथा प्रोटोकाल, जिसका पालन दोनों पक्ष करते हों, के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

2. अनुरोध किये जाने पर एक दूसरे पक्ष गैर कानूनी रूप से सिविल विमानों के अभिग्रहण किये जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों, कार्मिकों, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों से बचाव के लिए अथवा नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध किसी अन्य खतरे के लिए एक दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित नागर विमानन सुरक्षा उपबन्धों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहाँ तक वे इन पक्षों पर लागू होते हैं। वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके राज्य क्षेत्र में है तथा उसके क्षेत्र में हवाईअड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वह इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे प्रत्येक पक्ष अनुबन्धों के अपने राष्ट्रीय विनियमों तथा कार्यविधियों तथा विमानन सुरक्षा मानदण्डों में किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर एक दूसरे पक्ष को सलाह देंगे। प्रत्येक पक्ष कोई भी इस प्रकार के मतभेदों पर किसी भी समय विचार-विमर्श करने के लिए एक दूसरे पक्ष से परामर्श करने का अनुरोध कर सकते हैं।

4. ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे पक्षों द्वारा उस पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय वहां से प्रस्थान करते समय या उसमें रहते समय अपेक्षित उपर्युक्त पैरा ग्राफ तीन में उल्लिखित विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है। प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके राज्य क्षेत्र में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मियों, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान भंडार विमान में लादने से पहले या उसके दौरान, उस की जांच करने के लिए प्रभावी उपाय किये गये हैं। प्रत्येक पक्ष किसी विशेष खतरे का मुकाबला करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए एक दूसरे पक्ष द्वारा किये गये अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेगा।

5. जब किसी सिविल विमान के गैर कानूनी अभिग्रहण का खतरा या इस प्रकार के खतरे की घटना घटती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कर्मियों, हवाईअड्डों और हवाई दिक्कालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कोई गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो पक्ष, इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरन्त समाप्त करने के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6. प्रत्येक पक्ष, निम्नलिखित नोटिस के साथ (60) दिन के भीतर, (या ऐसी न्यूनतम अवधि जिसे वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच है, उनके वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में किये जा रहे सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन किये जाने के लिए या किये जाने के लिए नियोजित, प्रथम पक्ष के राज्य क्षेत्र से विमान आपरेटरों द्वारा उड़ानों के आगमन व प्रस्थान के संबंध में, अधिकार होगा। ऐसे

मूल्यांकन करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था वैमानिक प्राधिकारियों की आपसी समझ तथा बिना विलम्ब के कार्यान्वित की जाएगी। ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्यांकनों को शीघ्र किया जाए।

7. जब एक पक्ष के पास यह विश्वास करने के युक्तिसंगत आधार है कि दूसरा पक्ष इस अनुच्छेद विमान सुरक्षा उपबन्धों से दूर हट गया है, तो प्रथम पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों से तुरन्त परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। इस अनुरोध की तिथि के 15 दिनों के भीतर किसी संतोषजनक सहमति पर पहुंचने में विफलता से उस पक्ष की एक एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार तथा तकनीकी अनुमतियों संबंधी शर्तों को रोकने, बहाल करने, सीमित करने या लगाने के लिए तत्संबंधी अनुरोध का आधार बनेंगे। किसी आपात स्थिति में न्यायोचित ठहराये जाने पर, अथवा इस अनुच्छेद के उपबन्धों के गैर अनुपालन को आगे रोकने के लिए, प्रथम पक्ष किसी भी समय अंतरिम कार्रवाई कर सकता है। इस अनुच्छेद के सुरक्षा उपबन्धों का दूसरे पक्ष द्वारा पालन नहीं किये जाने पर इस पैराग्राफ के अनुसरण में कोई भी कार्रवाई करनी होगी।

अनुच्छेद - आठ **वाणिज्यिक अवसर**

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइनों को विमान सेवाओं के प्रोत्साहन तथा बिक्री के लिए अन्य संविदाकारी पक्ष में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।
2. प्रत्येक पक्ष की नामित विमान कंपनी को दूसरे संविदाकारी पक्ष के संबंध प्रवेश, रिहायश तथा रोजगार के संबंध में कानूनों विनियमों तथा नियमों के अनुसार का अधिकार होगा जिससे अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रबन्धकीय, बिक्री, तकनीकी प्रचालनात्मक और अन्य विशेष सेवा प्राप्त स्टाफ रखा जा सके जो विमान सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक हो।
3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की कोई भी एयरलाइन अन्य संविदाकारी पक्ष की कोई भी एयरलाइन अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में विमान सेवाओं की बिक्री प्रत्यक्ष रूप से अथवा एयरलाइन के विवेक से इसके एजेंटों के माध्यम से कर सकती है सिवाय उस स्थिति को छोड़कर उस देश के चार्टर विनियमों में विशेष रूप से व्यवस्था की गई हो जिस देश से चार्टर आरंभ होती है। जो यात्री निधियों, यात्रा रद्द

तथा वापसी अधिकारों के साथ है। प्रत्येक एयरलाइन को इस प्रकार के परिवहन को इस प्रकार से बेचने का अधिकार होगा तथा कोई भी व्यक्ति उस राज्य क्षेत्र के मुद्रा में अथवा स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में खरीदने का अधिकारी होगा।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को मांग आने पर स्थानीय रूप से वितरित अधिकाय स्थानीय राजस्व को इसके अपने देश में परिवर्तन तथा जमा करने का अधिकार होगा परिवर्तन और जमा करने की अनुमति, जमा करने के लिए आरंभिक आवेदन करने के लिए विमान कम्पनी की लागू जमा करने की तारीख चालू कारोबार तथा लागू विनियम दर पर प्रतिबंध अथवा कराधान किए बिना तत्काल अनुमति दी जाएगी।

5. प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनों को स्थानीय व्यय के लिए भुगतान करने की अनुमति होगी जिसमें स्थानीय मुद्रा में अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में विमान की खरीद भी शामिल होगी। उनकी मर्जी पर, प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनें अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में इस प्रकार के व्यय के लिए स्थानीय मुद्रा विनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में कर सकेगी।

6. इस अनुच्छेद में निहित इस बात को होने पर भी इस अनुच्छेद के अधीन अधिकारों का निर्वाह लागू अंतर्देशीय कानूनों, विनियमों और नियमों के अनुरूप होगा तथा दोनों पक्ष यह निर्धारित करेंगे कि कानून विनियम तथा नियमों का प्रशासन एक गैर भेदभावपूर्ण कार्यवाही होगी तथा इस करार के प्रयोजनों के अनुरूप होगी।

अनुच्छेद - नौ **सहकारी मार्केटिंग प्रबन्ध**

1. जब विनिर्दिष्ट मार्ग (मार्गों) पर सहमत तथा सभी कार्गो सेवाओं का प्रचालन अथवा होल्डिंग करते समय दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी सहकारिता मार्केटिंग प्रबन्ध में भाग ले सकती है चाहे वह प्रचालन एयरलाइन हो अथवा मार्केटिंग एयरलाइन।

- (क) उसी संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन अथवा एयरलाइनें
- (ख) अन्य संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन अथवा एयरलाइनें
- (ग) तीसरे देश की एक एयरलाइन अथवा एयरलाइनें

2. जब किसी पक्ष की नामित विमान कंपनी प्रचालन कम्पनी के रूप में सहकारिता मार्केटिंग प्रबन्धों के अधीन विमान सेवाएं प्रचालित करती है तो उस एयरलाइन द्वारा प्रचालित कुल क्षमता को उस पक्ष की क्षमता हकदारी के तहत आंका जाएगा जिस एयरलाइन का नामन किया है।
3. जब एक पक्ष की नामित विमान कम्पनी अपनी स्वयं की अथवा अन्य पक्ष की एयरलाइन के साथ मार्केटिंग एयरलाइन के रूप में सहकारिता मार्केटिंग प्रबन्धों के अधीन विमान सेवाओं का निर्वाह करती है तब पूर्व एयरलाइन द्वारा ऑफर कुल क्षमता की गणना एयरलाइन को पारित करने वाले क्षमता हकदारी के तहत नहीं की जाएगी।
4. जब एक पक्ष की नामित विमान कम्पनी एक मार्केटिंग एयरलाइन के रूप में एक तीसरे देश के साथ सहकारिता मार्केटिंग प्रबन्धों के अधीन विमान सेवाओं के अधीन का निर्वाह करती है तो ऑफर कुल क्षमता मार्केट एयरलाइनों तथा प्रचालन एयरलाइन दोनों की क्षमता हकदारी के तहत गणना की जाएगी।
5. उपरोक्त सेवाओं का प्रचालन तथा होलडिंग वाली सभी एयरलाइनों के पास उपयुक्त प्राधिकार होने चाहिए जिसमें मार्ग अधिकार, यातायात अधिकार तथा क्षमता हकदारी सम्मिलित हो तथा सामान्यतया इस प्रकार के प्रबन्धों के लिए सामान्यतया इस प्रकार के प्रबन्धों के लिए सामान्यतया लागू आवश्यकताओं को पूरा करते हों।
6. दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित एयरलाइनों को कोड शेयर ब्लाक स्पेस अन्य आय युक्त उपक्रम प्रबन्धों के अनुसार विक्रय के लिए सेवाओं की होलडिंग करते समय को विक्रय के समय खरीददार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सेवा के प्रत्येक सेक्टर पर कौन सी एयरलाइन प्रचालन करने वाली एयरलाइन होगी तथा वह कौन सी एयरलाइन (एयरलाइनें) होगी जिनके साथ खरीददार ठेका संबंध को बनाये रखेगा।

अनुच्छेद - दस
सीमा शुल्क एवं अन्य प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर अन्य पक्ष की एक नामित एयरलाइन को अपने राष्ट्रीय कानून के तहत विमानों, ईंधन, स्नेहकों, उपभोज्य तकनीकी

आपूर्तियों, इंजनों सहित स्पेयर पार्ट्स , नियमित विमान उपस्कर विमान भण्डारों (जिनमें विशेषकर विमान के प्रचालन अथवा सर्विसिंग से संबंधित उपभोग हेतु भोजन, पेय अथवा खराब तम्बाकू व अन्य उत्पाद शामिल हैं किन्तु यह इन तक सीमित नहीं है) तथा अन्य मद, जैसे मुद्रित टिकट स्टॉक, एयर वेबिल्स, कोई भी अन्य मुद्रित सामग्री जिस पर कंपनी का चिन्ह मुद्रित हो तथा नामित एयरलाइन द्वारा सहमत सेवाएं प्रचालित करने वाले इस अन्य पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान के प्रचालन अथवा सर्विसिंग से विशेष रूप से संबंधित उपभोग की जाने वाली अथवा उपयोग हेतु प्रबल सामान्य विज्ञापन सामग्री पर सीमा शुल्कों, आबकारी करों, निरीक्षण शुल्कों तथा अन्य राष्ट्रीय शुल्कों से अधिकतम संभव सीमा तक छूट प्रदान करता है।

2. इस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई छूटें पैरा-1 में संदर्भित मदों पर लागू होंगी।

- (क) उस पक्ष के राज्यक्षेत्र में अथवा अन्य पक्ष की नामित एयरलाइन की ओर से उपयोग में लाई गई मद,
- (ख) एक पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान के अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र में पहुंचने अथवा इसे छोड़ते समय उड़ानगत रोक रखी गई मदें।
- (ग) एक पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान पर अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में उड़ानगत लिए गए अथवा सफल सेवाएं प्रचालित करने में उपयोग हेतु प्रवृत्त मदें, चाहे इन मदों का उपभोग या उपयोग छूट प्रदान कर रहे पक्ष के राज्यक्षेत्र के भीतर पूरी तरह हो चुका हो अथवा नहीं, बशर्ते इन मदों का स्वामित्व उक्त पक्ष के राज्यक्षेत्र में हस्तांतरित न किया गया हो।

3. नियमित एयरबोर्न उपस्कर के साथ-साथ किसी भी पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान पर उड़ानगत सामान्यतया रोक रखी गई सामग्री अथवा आपूर्तियों को केवल उस राज्यक्षेत्र के कस्टम प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र में उतारा जा सकता है। ऐसे मामलों में इन्हें उनके समय तक उक्त प्राधिकारियों की निगरानी में रखा जाए जितने समय में उन्हें पुनः भेजा जा सके अथवा कस्टम विनियमों के अनुरूप अन्यथा निपटान किया जा सके। अवमूल्यन पश्चात् परिसम्पत्तियों पर उपयुक्त रिटर्न शामिल हो सकती हैं। जिन सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए प्रभार लिए जाते हैं उन्हें कुशलता और किफायत से उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुच्छेद - ग्यारह प्रयोक्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष के सक्षम वसूली प्राधिकारियों अथवा निकायों द्वारा अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार न्यायोचित, तर्कसंगत होंगे, अनौचितपूर्ण रूप से पक्षपातपूर्ण नहीं होंगे तथा प्रयोक्ताओं की श्रेणियों के बीच समान रूप से अनुपातिक होंगे। किसी भी स्थिति में प्रभारों का आकलन किए जाते समय, अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर ऐसे किसी प्रयोक्ता प्रभार का आकलन किसी भी एयरलाइन को उपलब्ध अधिकतम अनुकूल शर्तों से कम अनुकूल शर्तों पर नहीं किया जाएगा।
2. अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर लगाए गए प्रयोक्ता प्रभारों में, उपयुक्त हवाईअड्डा, हवाईअड्डा वातावरण, हवाई दिक्चालन तथा हवाईअड्डे पर अथवा हवाईअड्डे के भीतर विमानन सुरक्षा सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सक्षम वसूली प्राधिकारियों अथवा निकायों की पूर्ण लागत परिलक्षित हो सकती है, किन्तु ये प्रभार इस लागत से अधिक नहीं हो सकते।
3. प्रत्येक पक्ष अपने राज्यक्षेत्र में सक्षम वसूलकर्ता प्राधिकारियों तथा निकायों और इन सेवाओं व सुविधाओं का उपयोग करने वाली एयरलाइनों के बीच परामर्शों को प्रोत्साहित करेगा तथा सक्षम वसूलकर्ता प्राधिकारियों तथा निकायों और इन एयरलाइनों को पैरा 1 तथा 2 के अनुरूप प्रभारों के औचित्य की सही-सही समीक्षा की जा सकने के लिए यथा आवश्यक सूचना का आदान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक पक्ष सक्षम वसूलकर्ता प्राधिकारियों को प्रोत्साहित करेगा कि वे प्रयोक्ताओं को प्रयोक्ता प्रभारों में परिवर्तनों के लिए किसी भी प्रस्ताव की उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराएं जिससे प्रयोक्ता परिवर्तनों से पहले अपने मत व्यक्त कर सकें।
4. किसी भी पक्ष को अनुच्छेद सोलह के अनुवर्ती विवाद निपटान प्रक्रियाओं में इस अनुच्छेद के उल्लंघन के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि i) यह उपयुक्त समय-सीमा के भीतर अन्य पक्ष द्वारा की गई शिकायत के विषयाधीन प्रभार अथवा परिपाटी की समीक्षा आरंभ करने में विफल न हो जाए, अथवा (ii) ऐसी समीक्षा के अनुसरण में, इस अनुच्छेद के साथ असंगत किसी प्रभार अथवा परिपाटी का उपचार करने के लिए, अपनी शक्तियों के भीतर सारे कदम उठाने में विफल न हो जाए।

अनुच्छेद - बारह आंकड़े उपलब्ध कराना

1. प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में आने वाली और वहां से जाने वाली सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े भेजेंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को भिजवाएंगे जिनमें इस प्रकार के यातायात के चढ़ने और उतरने के स्थलों का उल्लेख किया गया हो। इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के बाद यथा संभव शीघ्र दिये जाएंगे किन्तु यह अवधि उस माह के बाद 30 दिन से अधिक की नहीं होगी जिससे ये संबंधित है।
2. अनुरोध किये जाने पर प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस पक्ष के राज्य क्षेत्र को और वहां से उक्त अनुरोध में उल्लिखित एक “आयटा” यातायात सीजन से अनधिक अवधि में वाहित यातायात के वास्तविक उद्गम और गंतत्व से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से भिजवायेंगे।

अनुच्छेद- तेरह मूल्यकरण

1. प्रत्येक पक्ष बाजार में वाणिज्यिक कारणों के आधार पर हवाई सेवाओं के मूल्यों पर प्रत्येक नामित एयरलाइन द्वारा निर्णय लिए जाने की अनुमति देगा। पक्षों द्वारा हस्तक्षेप निम्न तक सीमित रहेगा:
 - (क) अनौचित्यपूर्ण पक्षपाती मूल्यों अथवा परिपाटियों की रोकथाम,
 - (ख) उपभोक्ताओं की ऐसे मूल्यों से पक्षों जो अनौचित्यपूर्ण रूप से अधिक हो अथवा किसी अन्य स्थिति के दुरुपयोग के कारण हतोत्साहक हों, तथा
 - (ग) एयरलाइनों को उन मूल्यों से संरक्षित करना जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सरकारी सब्सिडी अथवा समर्थन के कारण कृत्रिम रूप से निम्न हैं।
2. पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए मूल्यों को फाइल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा। पूर्ववर्ती पैरा के बावजूद, पक्षों की नामित

एयरलाइनें, अनुरोध होने पर, पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों को ऐतिहासिक, मौजूदा तथा प्रस्तावित मूल्यों संबंधी सूचना, उन वैमानिकी प्राधिकारियों को स्वीकार्य तरीके तथा प्रारूप में, तुरंत उपलब्ध कराएंगे।

अनुच्छेद - चौदह इंटरमोडल कार्गो सेवाएं

इस करार के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, दोनों पक्षों की एयरलाइनों तथा कार्गो परिवहन के अप्रत्यक्ष प्रदाताओं को बिना किसी प्रतिबंध के, अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संबंध में जिसमें सीमा-शुल्क सुविधाओं से युक्त सभी हवाईअड्डों से तथा के लिए परिवहन शामिल होगा और जहां लागू हो, लागू कानूनों तथा विनियमों के तहत बंध पत्र के तहत कार्गो परिवहन का अधिकार शामिल होगा। पक्षों अथवा तीसरे देशों के राज्यक्षेत्रों में किसी भी स्थल से तथा के लिए कार्गो हेतु किसी भूतल परिवहन को नियुक्त करने की अनुमति होगी। ऐसे कार्गो को चाहे भूतल द्वारा अथवा हवाई मार्ग द्वारा लाते ले जाते हुए, हवाईअड्डा कस्टम प्रक्रियाकरण तथा सुविधाएं सुलभ होंगी। एयरलाइनें अपना स्वयं भूतल परिवहन निष्पादित करने का चुनाव कर सकती हैं अथवा इसे अन्य भूतल वाहकों के साथ करारों के माध्यम से उपलब्ध करा सकती हैं, जिनमें अन्य एयरलाइनों तथा कार्गो हवाई सेवाओं के अप्रत्यक्ष प्रदाताओं द्वारा प्रचालित भूतल परिवहन शामिल है। ऐसी इंटरमोडल कार्गो सेवाओं को हवाई तथा भूतल परिवहन के लिए संयुक्त रूप से एक एकल भू मूल्य पर पेश किया जा सकता है बशर्ते कि जहाज वाहकों को इस परिवहन से संबंधित तथ्यों के बारे में दिग्भ्रमित न किया जाए।

अनुच्छेद - पन्द्रह परामर्श

1. निकट सहयोग की भावना में, पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी इस करार के प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा संतोषजनक अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक दूसरे से समय-समय पर परामर्श करेंगे, तथा जब इनका संशोधन किए जाने के लिए आवश्यक हो तब भी परामर्श करेंगे।
2. प्रत्येक पक्ष, परामर्श का अनुरोध करेगा जो चर्चा के माध्यम से अथवा पत्र व्यवहार के द्वारा हो सकता है तथा लिखित अनुरोध के साठ (60) दिन की अवधि के भीतर आरंभ होगा, जब तक कि दोनों पक्ष इस अवधि के विस्तार पर सहमत न हों।

**अनुच्छेद - उन्नीस
इकाओ में पंजीकरण**

इस करार तथा इसके सभी संशोधनों को हस्ताक्षर होने पर अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में पंजीकरण किया जाएगा।

**अनुच्छेद - बीस
प्रवर्तन में आना**


यह करार तथा इसके अनुबंध दोनों पक्षों के बीच राजनयिक टिप्पणियों के आदान प्रदान के बाद के नोट की तिथि को लागू होंगे जिसमें पुष्टि की गई होगी कि प्रत्येक पत्र में इस करार तथा इसके अनुबंधों के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं।

जिसके साक्ष्य में, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होने के नाते अधोहस्ताक्षरियों ने मौजूदा करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

NEW DELHI में दिनांक 2 MAY 2006 को अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में प्रत्येक में दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया, इस करार के हिन्दी अनुवाद को तब समान रूप से प्रामाणिक माना जाएगा, जब इन राजनयिक टिप्पणियों का आदान प्रदान हो जाएगा जिनमें हिन्दी अनुवाद की अंग्रेजी पाठ के साथ अनुरूपता की पुष्टि होगी।



कृते न्यूजीलैण्ड सरकार



कृते भारत सरकार

अनुबंध मार्ग अनुसूची

प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनें निम्नलिखित मार्गों पर स्थलों के बीच अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं निष्पादित करने की पात्र होगी:

(क) भारत सरकार द्वारा नामित एयरलाइनों द्वारा प्रचालित किए जाने वाले मार्ग:

भारत के स्थलों से, मध्यवर्ती स्थलों से होकर आकलैण्ड तक।

(ख) न्यूजीलैण्ड सरकार द्वारा नामित एयरलाइनों द्वारा प्रचालित किए जाने वाले मार्ग:

न्यूजीलैण्ड के स्थलों से, मध्यवर्ती स्थलों से होकर, मुम्बई तक ।

नोट:

1. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनें अपनी इच्छानुसार उपरोक्त में से किसी भी मार्ग पर स्थलों को समाप्त कर सकती हैं बशर्ते सेवाएं उस क्षेत्र में आरंभ या समाप्त हो जिनमें संबंधित एयरलाइनों के प्रधान कार्य स्थल हों।
2. उपरोक्त मार्गों पर भारत तथा न्यूजीलैण्ड में मध्यवर्ती स्थलों, परे के स्थलों तथा गंतव्य स्थलों तथा नामित एयरलाइनों द्वारा इन स्थलों पर उपयोग किए गए यातायात अधिकारों का निर्धारण वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर किया जाएगा।
3. सभी कार्गो सेवाओं द्वारा प्रचालित किए जाने योग्य यातायात अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

[ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS]

The Government of New Zealand and the Government of the Republic of India
(hereinafter referred to as the 'Parties');

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for
signature at Chicago on 7 December 1944;

Desiring to establish international air services between and beyond their
respective territories;

Desiring to promote an international aviation system based on competition
among airlines;

Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air
services and reaffirming their grave concern about acts or threats against the
security of aircraft, which jeopardize the safety of persons or property, adversely
affect the operation of air services and undermine public confidence in the
safety of civil aviation;

Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

For the purposes of this Agreement, unless otherwise stated the term:

1. "Aeronautical authorities" means, in the case of New Zealand, the Minister responsible for Civil Aviation and, in the case of India, the Director General of Civil Aviation or, in both cases, any other authority or person empowered to perform the functions now exercised by the said authorities;
2. "Agreement" means this Agreement, its Annex, and any amendments thereto;
3. "Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944, and includes any amendment that has entered into force under Article 94(a) of the Convention and has been ratified by both Parties, and any Annex or any amendment thereto adopted under Article 90 of the Convention, insofar as such Annexes or amendments are at any given time effective for both Parties;
4. "Designated airline" means an airline designated and authorised in accordance with Article 3 (Designation and Authorisation) of this Agreement;
5. "Full cost" means the cost of providing service plus a reasonable charge for administrative overhead;
6. "International air service" means an air service that passes through the airspace over the territory of more than one State;
7. "Price" means any fare, rate or charge for the carriage of passengers (and their baggage) and/or cargo (excluding mail) in air service charged by airlines,

including their agents, and the conditions governing the availability of such fare, rate or charge;

8. "Stop for non-traffic purposes", "airline" and "air service" have the meaning specified in Article 96 of the Convention;

9. "Territory" has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention, provided that, in the case of New Zealand, the term "territory" shall exclude Tokelau; and

10. "User charges" means a charge imposed on airlines for the provision of airport, air navigation or aviation security facilities or services including related services and facilities.

Article 2

Grant of Rights

1. Each Party grants to the other Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in the appropriate Section of the Annex to this Agreement. Such services and routes are hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes" respectively.

2. Subject to the provisions of this Agreement, the airline(s) designated by each Party shall enjoy the following rights:

a. to fly without landing across the territory of the other Party;

b. to make stops in the territory of the other Party for non-traffic purposes; and

c. while operating an agreed service on the specified route, the airline(s) designated by each Party shall also enjoy the right to embark and disembark, in the territory of the other Party at the point(s) specified for that route in the Annex to this Agreement, international traffic in passengers and cargo including mail, separately or in combination.

3. The airline(s) of each Party, other than those designated under Article 4 of this Agreement, shall also enjoy the rights specified in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (2) of this Article.

4. Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the designated airline(s) of one Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Party, passengers, cargo and mail destined for another point in the territory of that other Party.

Article 3

Designation and Authorisation

1. Each Party shall have the right to designate an airline or airlines for the purpose of operating the agreed services on each of the routes specified in the Annex and to withdraw or alter such designations. Such designations shall be made in writing and transmitted to the other Party through diplomatic channels and shall identify whether the airline is authorised to conduct the air services specified in the Annex.

2. Upon receipt of such a designation and of applications from the designated airline, in the form and manner prescribed for operating authorisations and technical permissions, the other Party shall grant the

appropriate authorisations and permissions with minimum procedural delay, provided:

- a. substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Party designating the airline, nationals of that Party or both;
- b. the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws, regulations and rules normally applied to the operation of international air services by the Party considering the application or applications; and
- c. the Party designating the airline is maintaining and administering the standards set forth in Article 6 (Safety) and Article 7 (Aviation Security).

Article 4
Revocation of Authorisation

1. Either Party may revoke, suspend or limit the operating authorisation or technical permission of an airline designated by the other Party where:
 - a. substantial ownership and effective control of that airline are not vested in the other Party, the Party's nationals, or both;
 - b. that airline has failed to comply with the laws, regulations, and rules referred to in Article 5 (Applications of Laws) of this Agreement; or
 - c. the other Party is not maintaining and administering the standards as set forth in Article 6 (Safety) of this Agreement.

2. Unless immediate action is essential to prevent further non-compliance with subparagraphs 1b or 1c of this Article, the rights established by this Article shall be exercised only after consultation with the other Party.

3. This Article does not limit the rights of either Party to withhold, revoke, limit or impose conditions on the operating authorisation or technical permission of an airline or airlines of the other Party in accordance with the provisions of Article 7 (Aviation Security) of this Agreement.

Article 5
Application of Laws

1. While entering, within, or leaving the territory of one Party, its laws, regulations and rules relating to the operation and navigation of aircraft shall be complied with by the other Party's airlines.

2. While entering, within, or leaving the territory of one Party, its laws, regulations and rules relating to the admission to or departure from its territory of passengers, crew or cargo on aircraft (including regulations and rules relating to entry, clearance, aviation security, immigration, passports, customs and quarantine or, in the case of mail, postal regulations) shall be complied with by, or on behalf of, such passengers, crew or cargo of the other Party's airlines.

3. Neither Party shall give preference to its own airline or to an airline of any other country over a designated airline of the other Party engaged in similar international air services in the application of its customs, immigration, quarantine and similar regulations.

4. Passengers, baggage and cargo in direct transit through the territory of either Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose

shall not undergo any examination except for reasons of aviation security, narcotics control or in special circumstances. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes.

Article 6
Safety

1. Either Party may request consultations concerning the safety standards maintained in respect of an airline designated by the other Party relating to aeronautical facilities, aircrews, aircraft, and operation of the designated airlines.

2. If, following such consultations, one Party finds that safety standards in the areas referred to in paragraph 1 of this Article that meet the standards established at that time in accordance with the Convention are not effectively maintained and administered in respect of airlines designated by the other Party, the other Party shall be notified of such findings and the steps considered necessary to conform with these minimum standards, and the other Party shall take appropriate corrective action.

3. Each Party reserves the right to suspend, or limit the operating authorisation or technical permission of an airline or airlines designated by the other Party in the event the other Party does not take appropriate corrective action within a reasonable time.

4. Any action by one Party in accordance with paragraph 3 of this Article shall be discontinued once the basis for that action ceases to exist.

Article 7
Aviation Security

1. In accordance with their rights and obligations under international law, the Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, done at Tokyo on September 14, 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, done at The Hague on December 16, 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on September 23, 1971 and its protocol done at Montreal on February 24, 1988 and any other convention on aviation security to which both Parties become members.

2. Upon request the Parties shall provide each other with all necessary assistance to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, of their passengers and crew, of airports and air navigation facilities, and address any other threat to the security of civil air navigation.

3. The Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with all aviation security standards and appropriate recommended practices established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention; they shall require that operators of aircraft of their registry, operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

4. Each Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 3 above required by the other Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Party. Each Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Party shall also give positive consideration to any request from the other Party for special security measures to meet a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports or air navigation facilities occurs, the Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat.

6. Each Contracting Party shall take such measures as it may find practicable to ensure that an aircraft of the other Contracting Party, subjected to an act of unlawful seizure or other acts of unlawful interference, which has landed in its territory is detained on the ground unless its departure is necessitated by the overriding duty to protect human life. Wherever practicable, such measures shall be taken on the basis of mutual consultations.

7. When a Party has reasonable grounds to believe that the other Party has departed from the aviation security provisions of this Article, the aeronautical authorities of that Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other Party. Failure to reach a satisfactory agreement within 15 days from the date of such request shall constitute grounds to withhold, revoke, limit, or impose conditions on the operating authorisation and technical permissions of an airline or airlines of that Party.

When required by an emergency, a Party may take interim action prior to the expiry of 15 days.

Article 8
Commercial Opportunities

1. The airlines of each Party shall have the right to establish offices in the territory of the other Party for the promotion and sale of air services.
2. The designated airlines of each Party shall be entitled, in accordance with the laws, regulations and rules of the other Party relating to entry, residence and employment, to bring in and maintain in the territory of the other party managerial, sales, technical, operational and other specialist staff required for the provision of air services.
3. Any airline of each Party may engage in the sale of air services in the territory of the other Party directly and, at the airline's discretion, through its agents, except as may be specifically provided by the charter regulations of the country in which the charter originates that relate to the protection of passenger funds, passenger cancellation and refund rights. Each airline shall have the right to sell such transportation and any person shall be free to purchase such transportation, in the currency of that territory or in freely convertible currencies.
4. Each airline shall have the right to convert and remit to its country, on demand, local revenues in excess of sums locally disbursed. Conversion and remittance shall be permitted promptly without restrictions or taxation in respect thereof at the rate of exchange applicable to current transactions and remittance on the date the carrier makes the initial application for remittance.

5. The airlines of each Party shall be permitted to pay for local expenses, including purchases of fuel, in the territory of the other Party in local currency. At their discretion, the airlines of each Party may pay for such expenses in the territory of the other Party in freely convertible currencies according to local currency regulation.

6. Notwithstanding anything contained in this Article, the exercise of rights under this Article shall be in accordance with the applicable domestic laws, regulations and rules, and the Parties stipulate that the laws, regulations and rules shall be administered in a non-discriminatory fashion and consistent with the purposes of the Agreement.

Article 9

Co-operative Marketing Arrangements

1. When operating or holding out the agreed combination and all-cargo services on the specified route(s), any designated airline of either Party may enter into co-operative marketing arrangements, whether as the operating or marketing airline, with:

- a. an airline or airlines of the same Party;
- b. an airline or airlines of the other Party; or
- c. an airline or airlines of a third country.

2. When a designated airline of a Party performs air services under co-operative marketing arrangements as the operating airline, the total capacity operated by that airline will be counted against the capacity entitlements of that Party designating the airline.

3. When a designated airline of a Party performs air services under cooperative marketing arrangements as the marketing airline with the airline of its own country or the airline of the other Party, the total capacity offered by the former airline will not be counted against the capacity entitlements of that Party designating that airline.
4. When a designated airline of a party performs air services under cooperative marketing arrangements as the marketing airline with an airline from a third country, the total capacity offered will be counted against the capacity entitlements of both the marketing airline and operating airline.
5. All airlines operating or holding out the above services must hold the appropriate authority including route rights, traffic rights and capacity entitlement and meet the requirements normally applied to such arrangements.
6. The designated airlines of both Parties will, when holding services out for sale, in terms of code-share, blocked-space or other joint venture arrangements, make it clear to the purchaser at the point of sale which airline will be the operating airline on each sector of the service and with which airline(s) the purchaser is entering into a contractual relationship.

Article 10
Customs Duties and Charges

1. Each Party shall on the basis of reciprocity exempt a designated airline of the other Party to the fullest extent possible under its national law from customs duties, excise taxes, inspection fees and other national duties and charges on aircraft, fuel, lubricating oils, consumable technical supplies, spare parts including engines, regular aircraft equipment, aircraft stores (including but

not limited to such items of food, beverages and liquor, tobacco and other products destined for sale or to be used solely in connection with the operation or servicing of aircraft) and other items, such as printed ticket stock, air waybills, any printed material which bears the insignia of the company printed thereon and usual publicity material distributed free of charge by that designated airline intended for use or used solely in connection with the operation or servicing of aircraft of the designated airline of such other Party operating the agreed services.

2. The exemptions granted by this article shall apply to the items referred to in paragraph 1:

- a. introduced into the territory of the Party by or on behalf of the designated airline of the other Party;
- b. retained on board aircraft of the designated airline of one Party upon arrival in or leaving the territory of the other Party; or
- c. taken on board aircraft of the designated airline of one Party in the territory of the other Party and intended for use in operating the agreed services; whether or not such items are used or consumed wholly within the territory of the Party granting the exemption, provided the ownership of such items is not transferred in the territory of the said Party.

The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies normally retained on board the aircraft of the designated airline of either Party, may be unloaded in the territory of the other Party only with the approval of the customs authorities of that territory. In such case, they may be placed under supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

Article 11
User Charges

1. User charges that may be imposed by the competent charging authorities or bodies of each Party on the airlines of the other Party shall be just, reasonable, not unjustly discriminatory, and equitably apportioned among categories of users. In any event, any such user charges shall be assessed on the airlines of the other Party on terms not less favourable than the most favourable terms available to any other airline at the time the charges are assessed.

2. User charges imposed on the airlines of the other Party may reflect, but shall not exceed, the full cost to the competent charging authorities or bodies of providing the appropriate airport, airport environmental, air navigation and aviation security facilities and services at the airport or within the airport system. Such full cost may include a reasonable return on assets, after depreciation. Facilities and services for which charges are made shall be provided on an efficient and economic basis.

Each Party shall encourage consultations between the competent charging authorities or bodies in its territory and the airlines using the services and facilities, and shall encourage the competent charging authorities or bodies and the airlines to exchange such information as may be necessary to permit an accurate review of the reasonableness of the charges in accordance with the principles of paragraphs 1 and 2. Each Party shall encourage the competent charging authorities to provide users with reasonable notice of any proposal for changes in user charges to enable users to express their views before changes are made.

Neither party shall be held, in dispute resolution procedures pursuant to Article 16, to be in breach of a provision of this Article, unless (i) it fails to

undertake a review of the charge or practice that is the subject of complaint by the other Party within a reasonable amount of time; or (ii) following such a review it fails to take all steps within its power to remedy any charge or practice that is inconsistent with this Article.

Article 12

Provision of Statistics

1. The aeronautical authorities of each Party shall provide or cause its designated airline(s) to provide to the aeronautical authorities of the other Party statistics relating to the traffic carried during each month on the agreed services to and from the territory of that other Party, showing the points of embarkation and disembarkation of such traffic. Such statistics shall be furnished as soon as possible after the end of each month, but not later than 30 days following the month to which they relate.

2. The aeronautical authorities of each Party shall, on request, provide or cause its designated airline(s) to provide to the aeronautical authorities of the other Party statistics relating to true origin and destination of traffic carried to and from the territory of that other Party for a period, not exceeding one IATA traffic season, as specified in the request.

Article 13

Pricing

Each Party shall allow prices for air services to be decided by each designated airline based on commercial considerations in the marketplace. Intervention by the Parties shall be limited to:

- a. prevention of unreasonably discriminatory prices or practices;
 - b. protection of consumers from prices that are unreasonably high or restrictive due to the abuse of a dominant position; and
 - c. protection of airlines from prices that are artificially low due to direct or indirect governmental subsidy or support.
2. Prices for international air services between the territories of the Parties shall not be required to be filed. Notwithstanding the foregoing, the designated airlines of the Parties shall provide immediate access, on request, to information on historical, existing, and proposed prices to the aeronautical authorities of the Parties in a manner and format acceptable to those aeronautical authorities.

Article 14
Intermodal Cargo Services

Notwithstanding any other provision of this Agreement, airlines and indirect providers of cargo transportation of both Parties shall be permitted, without restriction, to employ in connection with international air services any surface transportation for cargo to or from any points in the territories of the Parties or in third countries, including transport to and from all airports with customs facilities, and including, where applicable, the right to transport cargo in bond under applicable laws and regulations. Such cargo, whether moving by surface or by air, shall have access to airport customs processing and facilities. Airlines may elect to perform their own surface transportation or to provide it through arrangements with other surface carriers, including surface transportation operated by other airlines and indirect providers of cargo air services. Such intermodal cargo services may be offered at a single, through price for the air

and surface transportation combined, provided that shippers are not misled as to the facts concerning such transportation.

Article 15
Consultation

1. In a spirit of close cooperation, the aeronautical authorities of the Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this agreement and shall also consult when necessary to provide for amendment thereof.
2. Either Party may request consultation, which may be through discussion or by correspondence and shall begin within a period of sixty (60) days of a written request, unless both Parties agree to an extension of this period.

Article 16
Settlement of Disputes

any dispute arises relating to the interpretation or application of this agreement, the aeronautical authorities of the Parties shall endeavour to settle by negotiations between themselves, failing which the dispute shall be referred to the Parties for settlement.

Article 17
Amendment

This Agreement may be amended by written agreement of the Parties.

2. Any amendments so agreed shall enter into force when the Parties have notified each other in writing that their respective requirements for the entry into force of an amendment or revision have been met.

3. In the event of the conclusion of any general multilateral convention or agreement concerning air transport by which both Parties become bound, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention or agreement.

Article 18
Termination

Either Party may, at any time, give notice in writing to the other Party of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall be sent simultaneously to the International Civil Aviation Organization. This Agreement shall terminate at midnight (at the place of receipt of the notice to the other Party immediately before the first anniversary of the date of receipt of such notice by the other Party, unless the notice is withdrawn before then by agreement of the Parties.

Article 19
Registration with ICAO

This Agreement and all amendments thereto shall be registered upon its signature with the International Civil Aviation Organization.

Article 20
Entry into Force


This Agreement and its Annex shall enter into force on the date of the later note in an exchange of diplomatic notes between the Parties confirming that each Party has completed the necessary internal procedures for entry into force of this Agreement and its Annex.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at NEW DELHI this day of 2 MAY 2005 in duplicate, in the English language, which shall be the authentic text. Translation of the Agreement into the Hindi language will be prepared and shall be considered equally authentic when agreed upon by an exchange of diplomatic notes that confirm its conformity with the English language text.



For the Government of
New Zealand



For the Government of the
Republic of India

ANNEX
International Air Services
Routes

designated airlines of each Party shall be entitled to perform international services between points on the following routes:

Routes to be operated by the airlines designated by the Government of the public of India:

Points in India via intermediate points to Auckland.

Routes to be operated by the airlines designated by the Government of New Zealand:

Points in New Zealand via intermediate points to Mumbai.

Notes:

The designated airlines of each Party may at their option omit points on any of the above routes provided that the services commence or terminate in the territory in which the airline concerned has its principal place of business.

The intermediate points, beyond points and points of call in India and New Zealand on the above routes, and the traffic rights which may be exercised at such points by the designated airlines, shall be jointly determined between the aeronautical authorities from time to time.

There will be no restrictions on the traffic rights or routes able to be operated for all cargo services.